विधान परिषद के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
13 (क) क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बतायेंगे कि जनपद भदोही में यूपी नेडा द्वारा सोलर लाइटें लगाने हेतु प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से नवंबर 2021 में धन अवमुक्त किया गया था, जिसका प्रस्ताव पत्रांक संख्या–095SLR/1121 दिनांक 5 जनवरी, 2022 था, जिसे ई–मेल के माध्यम से भी दिनांक 03/06/22 व 13/06/2022 को उपलब्ध कराया गया था, के परिप्रेक्ष्य में सोलर स्ट्रीट लाइटों का अधिष्ठापन करा दिया गया है ?	(क) जी नहीं,
(ख) यदि हॉ, तो क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेगें?	(ख) प्रश्न नहीं उठता।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	(ग) मा0 सदस्य, विधान परिषद के पत्र दिनांक 22/10/2021 द्वारा जनपद भदोही में 60 सोलर स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन हेतु सम्बन्धित जनपद को धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को दिया गया था। मा0 सदस्य, विधान परिषद के प्रस्ताव पर 60 सोलर स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, भदोही द्वारा रू0 4.33 लाख की धनराशि दिनांक 29/06/2022 को यूपीनेडा को उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2021–22 में राज्यानुदान

कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्सिडी रू0 7100/- के उपरान्त प्रत्येक सोलर लाईट पर विधायक निधि अंशदान रू0 7230/- था परन्तु वर्ष 2022-23 से प्रत्येक सोलर स्ट्रीट लाईट (राज्यानुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत) हेतु सब्सिडी रू0 7100/- के उपरान्त विधायक निधि अंशदान रू0 14009/- हो गया है। अतः उपलब्ध धनराशि में 60 सोलर स्ट्रीट लाईटों को अधिष्ठापित कराया जाना संभव नहीं था। फलस्वरूप निदेशक, यूपीनेडा के पत्र दिनांक 07/11/2022 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, भदोही से रू0 406740.00 की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। किन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से अतिरिक्त धनराशि अद्यतन अप्राप्त है। अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर उक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों के अधिष्ठापन कराये जाने की कार्यवाही सम्भव है।

ए0के0 शर्मा
मंत्री,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग।